अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या– 54 /2013–14

अब्दुल क्युम बनाम अब्दुल सलाम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे–प्रतिदावे का अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक अब्दुल क्यूम प्रश्नगत खाता सं0– 59, खेसरा सं0– 4905, से 02 कट्ठा भूमि को बीबी जहाँ आरा बेगम जौजे– इम्तीयाज दोख्तर मोतीउर रहमान मौजे– कोठिया मिर्जापुर से दिनांक 22.09.2012 को केवाला खरीद किए हैं, परन्तु सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से विदित होता है कि इस वाद में विपक्षी अब्दुल कलाम के पुत्र मो0 साजिद अली सिद्दीकी ने प्रश्नगत खेसरा की कुल रकवा 30 डी0 सहित अन्य भूमि के निश्वत इस वाद के आवेदक क्रेता अब्दुल क्यूम बिक्रेता बीबी जहाँ आर बेगम एवं मो0 साबिर के खिलाफ स्वत्व वाद सं0– 395/12 माननीय सब जज नं0– 4 दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया है जो लंबित है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जब प्रश्नगत भूमि के स्वत्व के निर्धारण के निमित सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या– 395/12 लंबित है जिसमें इस वाद के आवेदक एवं उनके बिक्रेता भी पक्षकार हैं, इस स्थिति में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत कोई भी आदेश पारित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में किए गए अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है तथा कार्रवाई Drop की जाती है। "अभिलेख संचिकास्त करें।" लेखापित एवं शुद्धित 20/03/14 भू0 सु0 उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा। 20/03/14 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	